भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4808

उत्तर देने की तारीख : 21.08.2025

महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को समर्थन

4808. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण खातों के महिला धारकों की संख्या और उन्हें वास्तव में अपेक्षाकृत कम संवितरित ऋण के बीच असमानता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महिला उद्यमियों, विशेष रूप से टियर 2/3 शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए ऋण पहुंच में सुधार हेतु कोई वित्तीय साक्षरता पहल शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महिलाओं द्वारा संचालित एमएसएमई को औपचारिक ऋण प्रवाह में सुधार हेतु वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के साथ मिलकर काम कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : जैसाकि वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा सूचित किया गया है, जून, 2025 की स्थिति के अनुसार देश में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत से इस स्कीम के तहत महिला उद्यमियों को कुल 36.04 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं।

(ख) **:** एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को 'यशस्विनी अभियान' शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं जैसे औपचारिकीकरण, ऋण तक पहुँच, क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन के माध्यम से समस्त भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना तथा इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों और अन्य एमएसएमई हितधारकों जैसे सीजीटीएमएसई, सिडबी, डीएफएस आदि के साथ भौतिक कार्यशालाओं, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से समन्वय करके ऋण पहुंच बढ़ाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वह ऋण पहुंच में सुधार हेतु विभिन्न जागरूकता उपाय और पहलें कार्यान्वित करता है और इनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

- आरबीआई वर्ष 2016 से, प्रत्येक वर्ष देश में जनता के लिए विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा संबंधी संदेशों का प्रचार-प्रसार करने हेतु वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) का आयोजन करता आ रहा है। इस सप्ताह के दौरान, जनता में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित चुनिंदा विषय पर उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर संदेशों का प्रचार-प्रसार भी शामिल है। अन्य बैंक भी अपने परिसरों, एटीएम स्क्रीन और वेबसाइटों पर संदेश प्रदर्शित करके अपने ग्राहकों और जनता के बीच जानकारी का प्रसार करते हैं और उनमें जागरूकता का सृजन करते हैं। एफएलडब्ल्यू 2025 का आयोजन "वित्तीय साक्षरता: महिलाओं की समृद्धि" विषय पर किया गया है।

- अग्रणी बैंकों को जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) स्थापित करने और आम जनता के साथ-साथ विभिन्न लक्षित समूहों के लिए शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है, जिसमें अन्य के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी और स्वयं सहायता समूह शामिल हैं।

(ग) और (घ) : जैसाकि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है, सरकार ने महिलाओं को बैंक ऋण और ऋण प्लस सेवाओं तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2000 में 14-सूत्रीय कार्य योजना (अब 13-सूत्रीय कार्य योजना) तैयार की थी। पीएसबी को सलाह दी गई थी कि वे अपने नेट बैंक क्रेडिट (एनबीसी) का 5 प्रतिशत महिलाओं को ऋण देने के लिए निर्धारित करें। दिनांक 31 मार्च 2025 तक पीएसबी द्वारा महिलाओं को प्रदान किया गया कुल बकाया ऋण ₹ 13,66,693.26 करोड़ था, जो पीएसबी के एनबीसी का 15.80% था। सभी 12 पीएसबी ने दिनांक 31 मार्च 2025 तक महिलाओं को ऋण देने के लिए एनबीसी के 5% का लक्ष्य हासिल कर लिया।

*****